

संशोधित-पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

राजस्व लोक अदालत दिनांक 09.09.2017 कैम्प नोहर

अज अदालत :- रमेश देव (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. भंवरलाल पुत्र नंदराम जाति चमार साकिन कोलासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम


1. नेतराम पुत्र माणकचन्द 3 संतलाल पि0 नन्दराम जाति चमार साकिन कोलासर तहसील नोहर ।
4. प्रभू पुत्र मालू जाति चमार साकिन कोलासर तहसील नोहर ।
5. स्टैट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद्द अठ्ठगर्त धाना 88, 53 राजस्थान काश्तकानी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 14 सन 2017 निर्णय दिनांक 19.06.2017
में प्रार्थना पत्र 151-152 जाब्ता दिवानी

आज यह प्रार्थना पत्र धारा 151-152 सीपीसी इस वाद के अंतिम निपटारे/ निर्णय के बाद जारी अन्तिम पर्चा डिक्री में वास्ते संशोधन वादी के वकील श्री विजय कुमार कडवासरा की उपस्थिति में निणार्थ प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र बाबत पर्चा डिक्री संशोधन स्वीकार किया जाकर उक्त अनवानी पर्चा डिक्री दिनांक 19.06.2017 में अंकित प्रभू पुत्र मालू जाति मेधवाल साकिन मन्दरपुरा के स्थान पर प्रभू पुत्र मालू जाति मेधवाल साकिन कोलासर संशोधन किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे शेष अंकन पर्चा डिक्री दिनांक 19.06.2017 के अनुसार यथावत रहेगा।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से राजस्व लोक अदालत में जारी की गई।


(२५९५५५)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)